न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 65/19 निर्णय दिनांकः– 21–01–2020

1. गुरलाभसिंह पुत्र रूपसिंह जाति जटसिख निवासी पालेवाली ढाणी तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 31–08–1996
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री मनमोहन चौधरी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 31–08–1997 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व में मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन उपनिवेशन तहसील पूगल में चक 19 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 180/63 मे 25 बीघा भूमि विशेष आवंटन किया गया था तथा आवंटन पश्चात् 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया, परन्तु अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उक्त भूमि पूर्व से ही मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि थी। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन न तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

4. उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियांद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–08–1996 के विरूद्व अपील दिनांक 20–02–19 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियांद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि है। अतः उक्त आराजी अपीलांट को नहीं मिल सकती। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 31–08–1996 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 20–02–2019 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके कण्डोन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलांट एक ग्रामीण पृष्ठभूमि का काश्तकार व्यक्ति है। जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रखे। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद धोषित की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा बतौर विशेष आवंटन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सलाहकार समिति की राय से दिनांक 31—08—1996 को अपीलांट को सक्षम मानते हुए उपनिवेशन तहसील खाजुवाला के चक 19 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 180/63 में 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया तथा आवंटन पश्चात् 35 प्रतिशत राशि जमा करवाने के उपरान्त आवंटन पट्टा भी जारी कर दिया गया। विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत गजट की प्रति से स्पष्ट है कि अपीलांट को आवंटित भूमि मोहरबन्द गजट हेतु आरक्षित भूमि है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को किया गया आवंटन रद्द नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का हक समाप्त नहीं किया जा सकता। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलांट आज भी पात्रता के अनुसार अन्य भूमि आवंटन करवाने का अधिकारी है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है व अपीलाधीन आदेश दिनांक 31—08—1996 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की पात्रता की जॉच करते हुए पात्रता के अनुसार नये सिरे से अन्यत्र भूमि आवंटित की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21—01—2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

अपील अधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.03 11:18:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: